150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
"Cleanliness is next to Godliness"

—:: कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

// ज्ञापन //

क्रमांक 7244/दो–8–1/11 उज्जैन, दिनांक 20 जुलाई, 2024

प्रति,

....

(समस्त न्यायाधीशगण जिला उज्जैन)

विषय :– मीडिएशन से संबंधित जानकारी बाबत्।

——0000——

प्रायः यह देखने में आया है कि समस्त न्यायालयों द्वारा प्रकरणों में मीडिएशन की कार्यवाही की जाती है एवं इस संबंध में यूनिट क्लेम करते हुए जानकारी मासिक पत्रक के साथ इस कार्यालय को प्रेषित की जाती है किन्तु उनसे संबंधित रैफरल आदेश एवं मीडिएटर प्रतिवेदन सहित अंतिम परिणाम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित नहीं किया जाता है जिसके कारण कार्यालय एवं प्राधिकरण द्वारा मीडिएशन के संबंध में संधारित किये जाने वाले डेटा में भिन्नता आ जाती है।

अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में जिन प्रकरणों में रैफरल एवं मीडिएशन की कार्यवाही संपादित करें उसके संबंध में समस्त जानकारी अनिवार्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें। मीडिएशन के संबंध में क्लेम की गई यूनिट का सत्यापन कार्यालय द्वारा प्राधिकरण द्वरा संधारित डेटा से किया जायेगा। मासिक पत्रकों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डेटा में अन्तर पाये जाने पर संबंधित न्यायालय द्वारा क्लेम की गई यूनिट को भिन्नता की सीमा तक अमान्य किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)